



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12724

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 45009/2025

आशीष मिश्रा

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: गिरीश चंद्र शुक्ला, कमलेंद्र त्रिपाठी, राजा राम त्रिपाठी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 2

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. रिट याचिका के पैराग्राफ-3 में यह कहा गया है कि याची गांव का ग्राम प्रधान है और एक समाज सेवी है। यह स्थापित कानून है और संबंधित नियमों के तहत निर्धारित है कि ग्राम प्रधान की ओर से याचिका केवल नामित अधिवक्ता द्वारा ही दायर की जा सकती है, लेकिन याची/ग्राम प्रधान को ही ज्ञात कारणों से, वर्तमान रिट याचिका एक निजी अधिवक्ता द्वारा दायर की गई है और वह भी जिला कलेक्टर से अनुमति लिए बिना।
2. इस मामले को देखते हुए, याची आशीष मिश्रा/ग्राम प्रधान को अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें वे उन कारणों को स्पष्ट करें कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए और मामले को राज्य सरकार को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने हेतु क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए।
3. इस समय, याची के अधिवक्ता द्वारा विद्वान स्थायी अधिवक्ता/ग्राम सभा की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता के माध्यम से नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को 'बल न देने' (नो प्रेस्ड) के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
4. राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार शुक्ला द्वारा इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया गया है।
5. उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए, वर्तमान रिट याचिका मांगी गई स्वतंत्रता के साथ 'बल न देने' के आधार पर खारिज की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

19 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"